राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांकःएफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/NMMS　　　　जयपुर, दिनांक : 04 DEC 2024

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत NMMS के माध्यम से दर्ज की जा रही श्रमिक उपस्थिति के संबंध में।
संन्दर्भ :–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 06.11.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एनएमएमएस के माध्यम से दर्ज की जा रही श्रमिक उपस्थिति की नियमित मॉनिटरिंग जिला एवं पंचायत समिति स्तर से करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिला एवं पंचायत समिति स्तर से की जा रही मॉनिटरिंग से योजना में पारदर्शिता एवं प्रभावी क्रियान्वयन में वृद्धि हुई है।

राज्य स्तर पर एनएमएमएस के माध्यम से अपलोड की जा रही श्रमिक उपस्थिति का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि अभी भी कुछ जिलों एवं पंचायत समितियों द्वारा अपलोड की जा रही श्रमिक उपस्थिति की शत प्रतिशत मॉनिटरिंग नही की जा रही है।

एनएमएमएस के माध्यम से ली जा रही श्रमिक उपस्थिति की मॉनिटरिंग हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही की जावे तथा इसकी समीक्षा जिला स्तर से भी की जावेः–

- जिला एवं पंचायत समिति स्तर से प्रत्येक सोमवार को शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार की श्रमिक उपस्थिति तथा प्रत्येक शुक्रवार को सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार की श्रमिक उपस्थिति की जांच की जावेगी।
- जिले द्वारा प्रतिदिन जितनी मस्टररोल पर श्रमिक उपस्थिति एनएमएमएस के माध्यम से अपलोड की गई है, उसका कम से कम 20 प्रतिशत मस्टररोल की जांच की जावेगी ताकि सप्ताह में कम से कम एक बार शत प्रतिशत मस्टररोल की जांच हो सके।
- पंचायत समिति द्वारा प्रतिदिन जितनी मस्टररोल पर श्रमिक उपस्थिति एनएमएमएस के माध्यम से अपलोड की गई है, उसका कम से कम 50 प्रतिशत मस्टररोल की जांच की जावेगी ताकि सप्ताह में कम से कम दो बार शत प्रतिशत मस्टररोल की जांच हो सके।

Signature valid
Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.12.04 10:46:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12171207

Scanned with CamScanner

- जिला स्तर से ब्लॉकवार सूचना एवं जिले द्वारा जांच की गई मस्टररोल के विवरण की सूचना गूगल शीट लिंक (https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Wz1tz193tP1_BcZC8swqbflYH5awdCgkNRTalD61bg/edit?usp=sharing) पर प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अपलोड करेगें।

जिला (कम से कम 20 प्रतिशत मस्टररोल) एवं ब्लॉक (कम से कम 50 प्रतिशत मस्टररोल) स्तर से अपलोड की गई श्रमिक उपस्थिति की जांच के दौरान यह ध्यान रखा जावे कि प्रतिदिन अलग–अलग ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत के मस्टररोल की जांच की जावे ताकि शत प्रतिशत ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत की मस्टररोल की जांच हो सके।

उक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करे एवं नियमित रूप से जिला स्तर से सप्ताह में 2 दिन गुगल शीट लिंक पर विवरण को अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष ए.टी.पेडणेकर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

Signature valid
Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.12.04 10:46:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12171207

Scanned with CamScanner